

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद

पत्रांक:-ई-2/03/नि०.वि-1/Gr.III/1110

दिनांक: 23.08.2019

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
केन्द्रीय सज्जा एवं भंडार प्राप्ति संगठन-1
सिंचाई विभाग, उ०प्र०, गंगा सिंचाई भवन,
तेलीबाग, लखनऊ

विषय:- श्री अंबेश प्रताप सिंह, खंडीय लेखाकार को अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि श्री अंबेश प्रताप सिंह, खंडीय लेखाकार, व्य०सं०1437 का स्थानांतरण इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या AE-II/03/ WM-I/Gr.III/59/2018/Vol.II/581 दिनांक 07.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा CESPO-1 लखनऊ से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता Tubewell Division, West Bagpat में किया गया है। श्री अंबेश प्रताप सिंह ने अपने पत्र दिनांक 20.08.2019 द्वारा सूचित किया है कि पंजीकृत पत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा में उन्हें खण्ड से अवमुक्त नहीं किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड किए गये कार्यालय आदेश के आधार पर श्री अंबेश प्रताप सिंह को अविलम्ब अवमुक्त करने का कष्ट करें। भविष्य में भी कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड की गयी सूचनाओं के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भुवदीय,
बी.एन.वर्मा
23.8.19
वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि०वि०-1

पत्रांक:-ई-2/03/नि०.वि-1/Gr.III/

दिनांक: 23.08.2019

प्रतिलिपि श्री अंबेश प्रताप सिंह, खंडीय लेखाकार को इस आशय के साथ प्रेषित है कि संबंधित अधिकारी को पत्र की प्रति प्रस्तुत करके अवमुक्त हों एवं स्थानांतरित खण्ड में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें।

2. वरिष्ठ लेखाधिकारी/आईटीसीजी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद को कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि० वि०-1

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद

पत्रांक:-ई-2/03/नि०.वि-1/Gr.III/

दिनांक: 23.08.2019

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,

केन्द्रीय सज्जा एवं भंडार प्राप्ति संगठन-1

सिंचाई विभाग, उ०प्र०, गंगा सिंचाई भवन,

तेलीबाग, लखनऊ

विषय:- श्री अंबेश प्रताप सिंह, खंडीय लेखाकार को अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि श्री अंबेश प्रताप सिंह, खंडीय लेखाकार, व्य०सं०1437 का स्थानांतरण इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या AE-II/03/ WM-I/Gr.III/59/2018/Vol.II/581 दिनांक 07.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा CESPO-I लखनऊ से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता Tubewell Division, West Bagpat में किया गया है। श्री अंबेश प्रताप सिंह ने अपने पत्र दिनांक 20.08.2019 द्वारा सूचित किया है कि पंजीकृत पत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा में उन्हें खण्ड से अवमुक्त नहीं किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड किए गये कार्यालय आदेश के आधार पर श्री अंबेश प्रताप सिंह को अविलम्ब अवमुक्त करने का कष्ट करें। भविष्य में भी कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड की गयी सूचनाओं के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,



वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि०वि०-1

पत्रांक:-ई-2/03/नि०.वि-1/Gr.III/1111

दिनांक: 23.08.2019

प्रतिलिपि श्री अंबेश प्रताप सिंह, खंडीय लेखाकार को इस आशय के साथ प्रेषित है कि संबंधित अधिकारी को पत्र की प्रति प्रस्तुत करके अवमुक्त हों एवं स्थानांतरित खण्ड में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें।

2. वरिष्ठ लेखाधिकारी/आईटीसीजी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद को कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।


23.08.19
वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि० वि०-1